

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक - रास्कूशिप/जय/वै.शि./TV दिशा-निर्देश 2023-24/ 1880

दिनांक :- 14/6/2023

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना- दिशा निर्देश 2023-24

1. उद्देश्य :-

- बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेण्डर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 व 10 की पात्र/चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है।
- आरटीई नियमों के तहत छितरी, कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये उनके वास स्थान से निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक-बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है।

2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता -

सारणी - 1

कक्षा 1 से 8 के बालक-बालिकाओं हेतु	कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं हेतु
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 1 किमी की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 1 किमी से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता है।	ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 2 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 2 किमी से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता है।	—
मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 02 कि०मी० से अधिक है।	मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 10 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 05 कि०मी० से अधिक है।

3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर :-

सारणी - 2

कक्षा	विद्यालय का प्रकार	वास स्थान से विद्यालय की दूरी	श्रेणी	दर (प्रति उपस्थिति दिवस)	वर्ष / माह में अधिकतम स्वीकृत / देय राशि प्रति विद्यार्थी
1 से 5	राजकीय विद्यालय	1 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	10 रुपये	सत्र पर्यन्त अधिकतम 3,000/- रुपये स्वीकृत।
6 से 8	राजकीय विद्यालय	2 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	15 रुपये	
	स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल	2 किमी. से अधिक उसी पंचायत समिति	बालिका	15 रुपये	
9 व 10	राजकीय विद्यालय	5 किमी से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय	बालिका	20 रुपये	सत्र पर्यन्त अधिकतम 5,400/- रुपये स्वीकृत।
	स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल	5 किमी. से अधिक उसी पंचायत समिति	बालिका	20 रुपये	

4. ध्यान देने योग्य बातें :-

- 4.1 सत्र 2023-24 में समग्र शिक्षा की कार्ययोजना में कक्षा 11 एवं 12 की बालिकाओं के लिये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है।
- 4.2 विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सही एवं भली प्रकार जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें। त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने एवं अपात्र के चयनित होने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की रहेगी।
- 4.3 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अतः साइकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- 4.4 कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।
- 4.5 किसी भी स्थिति में कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजना से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.6 शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही ट्रांसपोर्ट वाउचर/सुविधा राशि जारी की जानी है।
- 4.7 संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र 'विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र' में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार का संशोधन सीबीईओ द्वारा ही किया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीईओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीईओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की कार्यवाही सीडीईओ/एडीपीसी लॉग-इन से की जा सकेगी।

5. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन -

- 5.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अन्तर्गत समसा, जिला स्तर पर सीडीईओ/एडीपीसी, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ, पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 एसएनए से राशि आहरण की स्वीकृति परिषद कार्यालय द्वारा जिला कार्यालय को दी जायेगी। तदनुसार जिला/ब्लॉक/पीईईओ/विद्यालयों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि क्रमशः तीन-तीन दिवस में आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- 5.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) /विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिये किराये के वाहन से स्थानीय स्तर पर सामूहिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जायेगी।
- 5.4 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट के लिये मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रांसपोर्ट सुविधादाता से सारणी-2 में निर्धारित राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता/ भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह/ जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।
- 5.5 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-क प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विद्यार्थियों को सारणी-2 में वर्णित राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।



6. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालन के दायित्व –

A- परिषद कार्यालय, जयपुर के दायित्व :-

1. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के एडीपीसी कार्यालय को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि एसएनए से आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
2. परिषद कार्यालय के शाला दर्पण प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करवाई गई ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु नियमानुसार पात्र/चयनित बच्चों की सूची को जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
3. शिविरा कलैण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों की गणना अनुसार परिषद कार्यालय द्वारा एडीपीसी को एसएनए से राशि आहरण की स्वीकृति जारी की जायेगी।
4. ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र/चयनित बच्चों के नाम मय विद्यालयवार इत्यादि की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

B- अति० जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व :-

1. ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईईओ के अधीन नहीं हैं, के पात्र/चयनित बच्चों की सूची का हस्तान्तरण सम्बन्धित विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को करना सुनिश्चित करेंगे।
2. पीईईओ को जारी की गई राशि एवं बच्चों की सूची से सीबीईओ कार्यालय को भी अवगत कराया जायेगा ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग की जा सके।
3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पीईईओ को जारी की गई राशि का संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉकवार प्राप्त करना तथा समीक्षा उपरान्त परिषद कार्यालय को प्रेषित करना।

C- सीबीईओ के दायित्व :-

1. सीबीईओ द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग की जायेगी। पीईईओ कार्यालय एवं ब्लॉक के प्रावि/उप्रावि/माध्यमिक/उ०माध्यमिक विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रेन्डम सर्वे द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जायेगा।
2. ब्लॉक के समस्त पीईईओ कार्यालयों से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का दिशा-निर्देशों अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।
3. उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ/उप्रावि से प्राप्त कर समीक्षा पश्चात सूचना को समेकित करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करना।

D- पीईईओ/संस्था प्रधान/एसडीएमसी/एसएमसी के दायित्व :-

सारणी -3

दायित्व	किये /करवाये जाने वाले कार्य	प्रपत्र	उप प्रपत्र	कक्षा
समस्त संस्था प्रधान	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से भरवाया जायेगा।	1	भाग-क	समस्त
समस्त संस्था प्रधान	प्रपत्र-1 की जांच एवं प्रमाणीकरण करना	1	भाग-ख	समस्त
एसडीएमसी/एसएमसी	दिशा निर्देशानुसार अनुशंषा/अनुमोदन करना	2	भाग-क	समस्त
समस्त संस्था प्रधान	शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि का अंकन कर प्रमाणीकरण करना।	2	भाग-ख	समस्त
पीईईओ/सम्बन्धित संस्था प्रधान	पात्र/चयनित बच्चों हेतु सामूहिक सुविधा/ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि आहरण स्वीकृति	3	—	पात्र/चयनित बच्चे

1. उक्त प्रपत्र-1 का भाग-क को समस्त संस्था प्रधान प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अभिभावकों/संरक्षकों से भरवाना सुनिश्चित करें तथा शाला दर्पण में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
2. संस्था प्रधान द्वारा समस्त प्रार्थना/आवेदन पत्रों के सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रपत्र-1 के भाग-ख में किया जायेगा।

SVZ

3. प्रपत्र-2 के भाग-क में समस्त एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर अथवा सामूहिक परिवहन सुविधा से लाभान्वित किये जाने की अनुशंसा/अनुमोदन किया जायेगा।
4. प्रपत्र-2 के भाग-ख द्वारा संस्थाप्रधान के अनुमोदन/स्वीकृति पश्चात सूची के विद्यार्थियों की ट्रांसपोर्ट वाउचर की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट की जायेगी।
5. प्रपत्र-3 द्वारा पीईईओ व अधीनस्थ/सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा पात्र/चयनित बच्चों हेतु सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा/ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति दी जानी है।
6. पीईईओ के अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा प्रतिमाह की उपस्थिति पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
7. पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में अथवा उनके माता-पिता/अभिभावक के खाते में तथा सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिये सम्बन्धित के खाते में एसएनए से राशि जारी की जायेगी। किसी भी स्थिति में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाये।
8. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईईओ नहीं हैं। वे सभी संस्था प्रधान स्वयं के विद्यालय के पात्र/चयनित बच्चों को सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा/ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित करने के लिये उक्त सारणी-3 के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
9. सामूहिक परिवहन सुविधा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिए किराये के वाहन से की जावेगी। इस व्यवस्था में एक ही रास्ते से आने वाले विद्यार्थियों तथा स्थानीय साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जावेगा। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जायेगा। वाहन में निर्धारित क्षमता में ही विद्यार्थी बैठें, यह प्रधानाध्यापक एवं पीईईओ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदाता को देय एक मुश्त मासिक किराये का भुगतान पीईईओ द्वारा सम्बन्धित के बैंक खाते में एसएनए के माध्यम से किया जायेगा। यदि यह राशि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय राशि से अधिक है तो, जनसहभागिता/भामाशाह/संबन्धित विद्यार्थियों के अभिभावकों की स्वैच्छिक सहभागिता से अन्तर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है।
11. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान अनुज्ञेय राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार उनके अथवा उनके माता-पिता/अभिभावक के खातों में ऑनलाईन हस्तान्तरित किया जायेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जाये।
12. विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी का सत्यापन सम्बन्धित एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किया जायेगा।

7. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबन्धन-

- 7.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा की पीएबी में ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जायेगा।
- 7.2 अनुमोदित वार्षिक बजट 2023-24 में कक्षा 1 से 8 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम रुपये 3,000/- और कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं हेतु अधिकतम 5,400/- रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक राशि किसी भी विद्यार्थी को देय नहीं है।
- 7.3 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिलों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अंतर्गत राशि जारी की जायेगी। यह राशि शालादर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार एसएनए से आहरण स्वीकृति के रूप में जारी की जायेगी।
- 7.4 सत्र का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- 7.5 सत्र का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ/माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों से प्राप्त कर ब्लॉक का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

smg

- 7.6 राशि का उपयोग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- 7.7 कार्य में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
- 7.8 राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा।
8. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण –
- 8.1 राज्य स्तर— परिषद द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ एवं शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से।
- 8.2 जिला स्तर – सीडीईओ / एडीपीसी कार्यालय द्वारा।
- 8.3 ब्लॉक स्तर – सीबीईओ कार्यालय द्वारा।
- 8.4 विद्यालय स्तर – संकुल कार्यालय अधिकारी एवं विद्यालय के संस्था प्रधान तथा एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा।
9. मांग एवं प्रगति की सूचना—
- 9.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त की जाकर उसी अनुसार जिलों को राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9.2 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्रगति की समीक्षा शालादर्पण पोर्टल से राज्य स्तर पर की जायेगी।

परिशिष्ट-1

Transport Voucher Target for 2023-24

Rs. in lac

S. No.	Name of District	Transport Voucher Class 1 to 8		Transport Voucher Class 9-10	
		Physical	Financial	Physical	Financial
1	AJMER	9130	273.90000	264	14.25600
2	ALWAR	9331	279.93000	578	31.21200
3	BANSWARA	6185	185.55000	369	19.92600
4	BARAN	5201	156.03000	339	18.30600
5	BARMER	89196	2675.88000	1287	69.49800
6	BHARATPUR	1745	52.35000	30	1.62000
7	BHILWARA	10520	315.60000	561	30.29400
8	BIKANER	37968	1139.04000	1356	73.22400
9	BUNDI	9237	277.11000	302	16.30800
10	CHITTAURGARH	6957	208.71000	545	29.43000
11	CHURU	18914	567.42000	1209	65.28600
12	DAUSA	6766	202.98000	261	14.09400
13	DHAULPUR	3075	92.25000	60	3.24000
14	DUNGARPUR	6107	183.21000	396	21.38400
15	GANGANAGAR	15027	450.81000	1820	98.28000
16	HANUMANGARH	11180	335.40000	1108	59.83200
17	JAIPUR	26489	794.67000	599	32.34600
18	JAISALMER	21387	641.61000	546	29.48400
19	JALOR	46588	1397.64000	450	24.30000
20	JHALAWAR	4914	147.42000	242	13.06800
21	JHUNJHUNU	15588	467.64000	544	29.37600
22	JODHPUR	83366	2500.98000	1348	72.79200
23	KARAUJI	3092	92.76000	132	7.12800
24	KOTA	2268	68.04000	151	8.15400
25	NAGAU	55161	1654.83000	2070	111.78000
26	PALI	10840	325.20000	434	23.43600
27	PRATAPGARH	5646	169.38000	232	12.52800
28	RAJSAMAND	11398	341.94000	371	20.03400
29	SAWAI MADHOPUR	6555	196.65000	507	27.37800
30	SIKAR	42517	1275.51000	2031	109.67400
31	SIROHI	8651	259.53000	168	9.07200
32	TONK	5996	179.88000	519	28.02600
33	UDAIPUR	31288	938.64000	405	21.87000
Total		628283	18848.49000	21234	1146.63600

SM2

प्रपत्र-1 (भाग-क)

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं के लिए
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र
(विद्यार्थी / अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता :
2. पिता/अभिभावक का नाम :
3. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : कक्षा :
4. निवास स्थान का पता :
5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : कि०मी०

A. कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किमी से अधिक एवं कक्षा 9 से 10 के लिए 5 किमी से अधिक दूरी होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएं:-

I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए -

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए -

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

III. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं के लिए -

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

IV. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 6 से 8 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए -

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किमी से अधिक है। ☐

V. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 9 से 10 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए -

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

VII. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :-

- एसएमसी / एसडीएमसी के माध्यम से सामूहिक परिवहन सुविधा ली जानी है। ☐
- स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जानी है। ☐

(अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर)

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

SVZ

प्रपत्र - 1 (भाग- ख)
(कार्यालय उपयोग हेतु)
संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में से कुल बालक-बालिकाओं ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिये आवेदन किया है। इनके सभी तथ्य सही पाये गये हैं। आवेदन पत्रों की जांच कर ली गयी है एवं सभी तथ्य सही पाये गये हैं। अतः आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023-24 के दिशा-निर्देशानुसार अनुशंषा हेतु SMC/SDMC के समक्ष प्रस्तुत है। सत्र 2023-24 के लिये पात्र / चयनित विद्यार्थियों की संख्यात्मक कक्षावार सूचना निम्नानुसार है -

क्र०स०	कक्षा	पात्र / चयनित विद्यार्थी संख्या
1	Class - 1	
2	Class - 2	
3	Class - 3	
4	Class - 4	
5	Class - 5	
6	Class - 6	
7	Class - 7	
8	Class - 8	
9	Class - 9	
10	Class - 10	
	Total	

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

प्रपत्र-2

भाग-क

एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंषा / अनुमोदन

SMC/SDMC की बैठक दिनांक को हुई। बैठक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत आवेदन करने वाले निम्नांकित विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच की गई। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना वर्ष के दिशा-निर्देश अनुसार समिति निम्नलिखित विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंषा की जाती है:-

विद्यालय का नाम-

क्र. स.	एस. आर. संख्या	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	कक्षा	बैंक का नाम	आईएफएससी नं०	खाता संख्या खाता धारक का नाम

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील



प्रपत्र-2 (भाग - ख)
संस्थाप्रधान द्वारा प्रविष्टि का शाला दर्पण पर
अंकन व अनुमोदन/स्वीकृति

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंसा उपरान्त प्राप्त प्रपत्र-2 भाग-क के अनुसार समस्त विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की प्रविष्टि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023-24 के दिशा-निर्देश अनुसार कर दी गई है। समस्त विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह. संस्थाप्रधान
मय सील एवं दिनांक

प्रपत्र-3

पीईईओ विद्यालय/माध्य. विद्यालय /उच्च माध्य. विद्यालय
एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति
(ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किया जाना है)

SMC/SDMC की बैठक दिनांक को हुई। बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	एस.आर. संख्या	कक्षा	अवधि	सुविधा (ट्रांसपोर्ट वाउचर (1) / सामूहिक परिवहन (2))	देय राशि

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (पीईईओ स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर

विद्यालय का नाम यू डाईस कोड.....

विद्यालय का प्रकार — पीईईओ / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय

ट्रांसपोर्ट वाउचर प्राप्त राशि दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु प्राप्त राशि रु. में से रुपयेका उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। विवरण निम्नानुसार है —

शैक्षणिक सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	शैक्षणिक सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल उपयोग की गई राशि			शेष राशि
	निःशुल्क सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा में	एसएनए से बैंक खाते में सीधे लागू किया	कुल उपयोग की गई राशि	

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं नाम
संस्था प्रधान

कार्यालय ब्लॉक जिला

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ब्लॉक स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के विद्यालयों को जारी की गई ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :-

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/उमावि	ट्रांसपोर्ट वाउचर			वि.वि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

**उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र में जिला को ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में प्राप्त राशि रुपये में से जिले के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं कुल राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कौश बुक की पृष्ठ संख्या पर प्रविष्ट किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है। प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

**हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी**

**हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी**

**हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक**

**हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक**

(डॉ० मोहन लाल यादव)
आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/वैशि/ट्रांसपोर्ट वाउचर दिशा-निर्देश/2023-24/ 1880

दिनांक : 14/6/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, रा. स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा. / सीबीईओ /पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, ब्लॉक 06, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर को लेख है कि विद्यार्थियों के निवास से विद्यालय की दूरी का आधार अन्य संस्कृत विद्यालय के साथ-साथ शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालय की निकटतम दूरी की गणना करते हुये प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करें।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
7. जिला परियोजना समन्वयक, अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
8. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Dr. Mohan Lal
Yadav
Designation : State Project Director
Date: 2023.06.14 11:29:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3899261

10

